

विषय-सूची / CONTENTS

विषय सूची CONTENTS	पृष्ठ सं. PAGE NO
सूचना Notice	1
नोट Notes	3
व्याख्यात्मक विवरण Explanatory Statement	7
घोषणा फॉर्म Declaration Form	19
नामांकन फॉर्म Nomination Form	21
व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचन पत्र Personal Information, Declaration and Undertaking	23
उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश-पास-सह-मतपत्र पास Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass	29
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	31
सम्बद्ध अधिनियमों और विनियमों से उद्धरण Extract from Relevant Acts and Regulations	35

महत्वपूर्ण तिथियां

IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

	महत्वपूर्ण तिथियां CALENDAR OF EVENTS	दिन Day	दिनांक Date
1.	असाधारण सामान्य बैठक में और वहां मतदान में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण की विनिर्दिष्ट तारीख Specified Date for ascertaining the shareholders' eligibility to attend the EGM and vote thereat	शुक्रवार Friday	25 नवम्बर, 2011 25 th November 2011
2.	नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (को अथवा उसके पूर्व) Last date for submission of nomination forms (on or before)	शनिवार Saturday	24 दिसम्बर, 2011 (अपराह्न 2.00 बजे) 24 th December 2011 (2.00 P.M.)
3.	नामांकनों की संवीक्षा Scrutiny of Nominations	सोमवार Monday	26 दिसम्बर, 2011 26 th December 2011
4.	प्रॉक्सी फॉर्म और प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives.	बुधवार Wednesday	4 जनवरी, 2012 (सायं 5.00 बजे) 4 th January 2012 (5.00 P.M.)
5.	असाधारण सामान्य बैठक का दिन, दिनांक और समय Day, Date and Time of EGM	सोमवार Monday	9 जनवरी, 2012 (पूर्वाह्न 11.00 बजे) 9 th January 2012 (11.00 A.M.)



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपका बैंक बन गया है "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) के विनियमों 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एक असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन, सोमवार, दिनांक 09 जनवरी, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400056 में निम्न कारोबार के सम्पादन हेतु आयोजित की जा रही है:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियमन अधिनियम" कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "योजना" कहा गया है) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियमन" कहा गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 (3) (i) की शर्तों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं.डीबीओडी.सं.बीसी.सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 सहपठित सं. डीबीओडी. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात "भारिबैं अधिसूचना" कहा गया है) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पारित करते हुए केन्द्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों, जिनके सम्बंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, में से दो निदेशकों का निर्वाचन करना :

"यह संकल्प किया जाता है कि अधिनियम की धारा 9 (3) (i) सहपठित सम्बंधित योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित दो निदेशक एतद्वारा निदेशक नियुक्त किए जाते हैं तथा वे उस तारीख से कार्यग्रहण करेंगे, जिस तारीख को वे चुने/चुनी गए/गई हैं अथवा चुने/चुनी मान लिए गए/गई हों तथा वे इस प्रकार पद धारण करने की तिथि से तीन वर्ष तक निदेशक पद पर बने रहेंगे/रहेगा".

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई
दिनांक : 01.11.2011

ए.के.दास
सहायक महाप्रबंधक - एमबीडी/
कंपनी सचिव



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an **EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING** of the SHAREHOLDERS of CENTRAL BANK OF INDIA will be held on **Monday, the 9th January, 2012** at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai, 400056 to transact the following business:

To elect **TWO** directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act"), read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification Nos. DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01 November, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT TWO directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification, be and are hereby appointed as Directors of the Bank and that they shall assume office from date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of THREE years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors
For Central Bank of India

Place : Mumbai
Date : 01.11. 2011

A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यसूची के सम्बंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इससे संलग्न है।

2. मतदान का अधिकार

इस अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न, तदनुरूपी नए बैंक का कोई भी शोधरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के सभी शोधरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शोधरधारक, जो शोधरधारक के रूप में विनिर्दिष्ट तारीख (रिकॉर्ड तारीख) अर्थात् शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2011 को पंजीकृत हुआ है, का अपना हित दर्शाने पर एक वोट होगा एवं यदि मतदान होता है तो उसके पास धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

विनियम के विनियमन 10 के अनुसार, यदि दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर कोई शेयर है तो रजिस्टर में प्रथम उल्लेखित नाम का व्यक्ति मत देने के लिए एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है तो बैठक में भाग लेने के लिए केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही हकदार होगा एवं बैठक में नामित, प्रतिभागिता एवं मत देने के लिए पात्र होगा।

3. निर्दिष्ट तारीख

विनियम के विनियमन 12 के अनुसार में, चुनाव में सहभागिता करने हेतु पात्र शोधरधारकों के नामों को सुनिश्चित करने अर्थात् सूचना में यथा उल्लेखित, बैंक के शोधरधारकों को प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशकों के चुनाव के लिए नामांकन, प्रतिभागिता एवं मतदान के प्रयोजनार्थ शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 विनिर्दिष्ट तारीख (रिकॉर्ड तारीख) है।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने का हकदार कोई शोधरधारक, बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु अपने बदले किसी प्रॉक्सी को भी नियुक्त करने का हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉक्सी बैंक का शोधरधारक हो।

तथापि, ऐसे नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बर्षा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी अथवा अधिकारी है। विनियम 70 (vi) के अनुसार, प्रॉक्सी के लिखत का अनुदाता को उस बैठक में व्यक्तिगत मतदान करने का हक प्राप्त नहीं होगा, जिसके लिए इस तरह का लिखत सम्बंधित है।

इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के प्रधान कार्यालय स्थित सहायक महाप्रबंधक (एमबीडी)/कंपनी सचिव, 16 वीं मंजिल, चन्द्रमूर्ती, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2012 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति, 5.00 बजे अथवा उसके पूर्व जमा/प्रस्तुत किया जाए।

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out material facts in respect of business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of the sub-section (2E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on **the Specified Date (Record Date) i.e., Friday, the 25th November 2011**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. CUT OFF DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations **Friday, the 25th November 2011 is the Specified Date (Record Date)** for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e to nominate, contest and vote for the election of TWO directors representing the shareholders of the Bank as mentioned in the Notice.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Central Bank of India.

As per Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form, in order to be effective, must be deposited / lodged at the Head Office of the Bank with the Assistant General Manager (MBD)/ Company Secretary, 16th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021, at least **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before 05.00 pm, the closing hours of the Bank on Wednesday, 4th January 2012.**

5. किसी प्राप्त प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी भी व्यक्ति को, बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का हक तब तक नहीं होगा, जब तक कि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे विधिवत रूप से नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपि, बैंक के प्रधान कार्यालय स्थित सहायक महाप्रबंधक (एमबीडी)/कंपनी सचिव, 16 वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2012 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति, 5.00 बजे अथवा उसके पूर्व प्रस्तुत न की जाए, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया था.

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, उल्लेखित करना चाहिए.

मतदान के समय में मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास के भाग को प्रस्तुत करना होगा.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extra Ordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Assistant General Manager(MBD)/ Company Secretary, 16th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021, at least **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before 05.00 pm, the closing hours of the Bank on Wednesday, 4th January 2012.**

6. ATTENDANCE SLIP - CUM -ENTRY PASS- CUM- BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘੋਟੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਘੋਟੇਵਾਰੀ

- निदेशकों का चुनाव करने के लिए संस्थाओं के अधिकार

भारत सरकार के अलावा, शोधधारकों के पास बैंक की ढ़िकवटी शोध पूँजी की 19.7926% की शोधधारिता है। बैंककारी कंपनी (उत्कर्मों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ii) के अनुसार, सेटल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में बैंक (केन्द्रीय सरकार के अलावा) के शोधधारकों का प्रतिनिधित्व करते वाले दो निदेशक शामिल होंगे।

“वर्तमान शोधधारक निदेशक यथा, श्री ब्रजलाल क्षत्रिय एवं प्रो. एन. बालाकृष्णन ने दिनांक 19 नवंबर, 2011 तक कादीभार सभाला दिनांक 20 नवंबर, 2011 को हुई रक्तियों को भर्ने के लिए निदेशक मंडल ने केन्द्र सरकार के अलावा शोधधारकों में से निदेशकों को धन करने के लिए दिनांक 09 जनवरी, 2012 को बैंक के शोधधारक निदेशकों का चुनाव आयोजित किया है।

अतः केन्द्र सरकार के अलावा राज्यभारक आधिनियम, विनियम आधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना, संवैधान्त प्रावधान जो निम्नानुसार निरदिष्ट किए गए हैं, में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के पात्र है: वयनित निदेशक दिनांक 10 जनवरी, 2012 अथवा वही दिनांक जिसको उन्हें चुना हुआ माना गया है से कार्य ग्रहण और पदभारण करने की तिथि से 3 वर्ष तक निदेशक का कार्यभार संभालेंगे।”

പിൻപറയ്ക്കുക

इस संबंध में निम्नलिखित तालिका लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं में उल्लिखित प्राधान्य दर्शाती है:

आधिनियम/योजना/विनियम/प्रबंधन	आधिनियम/योजना/विनियम, 1948	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1970	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	आधिनियम/योजना/विनियम/प्रबंधन
संश्लेषण विवरण	• इसके किसी भी निदेशक को अथवा उनकी ओर से ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत करने हेतु प्रतिबंध	• मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध • शोधधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या • कतिपय क्षेत्रों में विशेष शान	• कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चयन हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह अपने पिछले रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा भारिबैं द्वारा निर्धारित इस तरह के अन्य मानदण्डों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया जाता है। • भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा 3 (एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उचित एवं उपयुक्त दृष्टिकोण का निर्धारण, ऐसे निर्धारण की शक्ति, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं ऐसे अन्य मामलों को आदेश्यक माने जाने सकते हैं अथवा नहीं प्रासंगिक है, के लिए, प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट भी कर सकता है	आधिनियम/योजना/विनियम/प्रबंधन

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF TWO SHAREHOLDERS' DIRECTORS

RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than the Government of India hold 19.7926% of the equity share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Board of Directors of Central Bank of India shall include two directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The present shareholder Directors viz., Shri Brijlal Kshatriya and Prof. N. Balakrishnan hold office till 19th November 2011. With a view to fill in the vacancies that will be caused on 20th November 2011, the Board of Directors has convened an Election of Shareholder Directors of the Bank on 9th January 2012 to elect TWO Directors from amongst shareholders other than the Central Government.

The Shareholders other than the Central Government are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in the Act, Regulation Act, Scheme, regulations, Notification, the relevant provisions of which are indicted hereunder. The elected directors will assume office on 10th January 2012 or on the date they are deemed to be elected and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 20	<ul style="list-style-type: none"> Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9 (3AA) Section 9 (3AB)	<ul style="list-style-type: none"> Restriction on voting rights No. of directors to be elected by the shareholders Special Knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe The RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

	धारा 9 (3बी)	<ul style="list-style-type: none"> इस कथित अधिनियम की धारा 9 (3ए) एवं 9 (3एए) की अपेक्षाओं को जो चयनित निदेशक पूरा नहीं करता/करती है, उसे हटाने के लिए भारिबैं का अधिकार.
	धारा 13 (2)	<ul style="list-style-type: none"> विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता.
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9 (4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11ए खण्ड 11बी खण्ड 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> चयनित निदेशकों की पदावधि. बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अनर्हता निदेशकों की पद रिक्ति चयनित निदेशक को पद से हटाना चयनित निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरना निदेशकों द्वारा कतिपय व्यवस्थाओं, जिनमें उनका हित निहित है, का प्रकटीकरण.
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित)	विनियमन 10 विनियमन 61 विनियमन 63 विनियमन 64 विनियमन 65 विनियमन 66 विनियमन 67 विनियमन 68 विनियमन 69 विनियमन 70	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त धारकों के अधिकार का प्रयोग सामान्य बैठकों में मतदान सामान्य बैठकों में निदेशकों का चयन किया जाना शेयरधारकों की सूची चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन नामांकनों की जांच चुनाव सम्बंधी विवाद मतदान अधिकारों का निर्धारण विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान प्रॉक्सी
भारिबैं अधिसूचना सं.डीबीओडी नं.बीसी नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 जिसे अधिसूचना सं.डीबीओडी बीसी नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पढ़ा जाए.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) एवं धारा 9 (3एबी) के अनुसरण में	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए उचित एवं यथेष्ट मानदण्ड.

	Section 9 (3B)	<ul style="list-style-type: none"> Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and 9 (3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the bank Vacation of office of Directors Removal from office of an elected Director Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Directors to be elected at general meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative Proxies
RBI Notification No. DBOD No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01 November, 2007 read with Notification No DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011.	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	<ul style="list-style-type: none"> Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks

• वेबसाइट में अधिनियमों/योजना/विनियमों/अधिसूचनाओं का सार

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, विनियम अधिनियम से सम्बंधित सार, अधिनियम, योजनाएं विनियम एवं भारिबैं अधिसूचनाएं नं. डीबीओडी.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 एवं नं.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी. इस तरह के सार को अनुरोध प्राप्त होने पर उन उम्मीदवारों को भी ई-मेल से उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव को संबोधित बैंक के प्रधान कार्यालय, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 में नामांकन फॉर्मों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख अथवा उसके पूर्व अर्थात् शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 को प्रस्तुत किए जाते हैं.

• किसी उम्मीदवार के लिए अहर्ता

इस अधिनियम की धारा 9 (3ए) में निर्धारित अहर्ताएं किसी भी उम्मीदवार को पूरी करनी होंगी एवं इस योजना के खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हताओं से वह ग्रस्त नहीं होगा और विनियम के विनियमन 65 में उल्लेखित शर्तों को वह पूरी करता हो, जो कि निम्नानुसार है:

(ए) इस अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार, कोई उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और जो इस अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए इच्छुक है, उसे

ए) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक अथवा अधिक का व्यवहार्य अनुभव अथवा विशेष ज्ञान होना चाहिए; जैसे :

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

बैंकिंग

सहकार.

अर्थशास्त्र

वित्त

विधि

लघु उद्योग

अन्य किसी मामलों का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए लाभदायक रहेगा, या

(बी) जमाधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो,

(सी) किसानों कामगारों ओर कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

(बी) अधिनियम की धारा 9(3एए) एवं आर.बी.आई की अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होते हुए कोई उम्मीदवार, जो बैंक के निदेशक के लिए नामांकन करता है, के पास उसके पूर्व रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा एवं इस सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों के आधार पर उपयुक्त एवं समुचित "हैसियत हो.

(सी) इसके अलावा, निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा समझौता दस्तावेज निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित वार्षिक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे.

• **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATION IN WEBSITE**

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations as well as RBI Notifications No.DBOD.BC.No.46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 will be hosted on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the **Assistant General Manager- MBD/Company Secretary**, at the Bank's Head Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **Saturday, 24 December 2011**

• **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein.

(a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

(A) have special knowledge or practical experience in one or more of the following matters namely:

agriculture and rural economy

banking

co-operation

economics

finance

law

small scale industry

any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank, or

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status' based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

(c) Further the elected Director should execute a Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

- बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से वंचित करने वाली अयोग्यताएं :

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 की खंड 10 के अंतर्गत एक व्यक्ति निदेशक के निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित होगा यदि:-

- ए) यदि वह किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो, या उसने भुगतान स्थगित किए हों, या उधारदाताओं से घिरा हो; या
- बी) यदि वह विक्षिप्त हो और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो; या
- सी) यदि वह अपराधी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक हनन शामिल हो, या
- डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के लाभ के पद पर कार्य करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के परिच्छेद 3 की उप-धारा (1) या किसी सहायक बैंक की धारा 3 भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, अतिरिक्त इसके पूर्ण कालिक निदेशक का पद रखते हुए प्रबंध निदेशक और नामांकित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए खंड (ई) एवं (एफ) की उप-धारा (3) परिच्छेद 9 अधिनियम बैंक के कर्मचारियों में से लिया जाता है।

एवं

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुपालन में डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 03.2007 के साथ सहपठित सं. डीबीओडी.बीसी सं.95/ 29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, यदि वह बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा स्वस्थ और उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

- प्रत्याशियों को शेयरधारकों की सूची

दिनांक 25 नवम्बर 2011 के दिन बैंक के शेयरधारकों की सूची गुरुवार 15 दिसम्बर 2011 से बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगी, यह सूची "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में मुम्बई पर देय रु.50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के बैंक ड्राफ्ट एवं सहा महाप्रबंधक एमबीडी/कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 16 वां माला, चन्द्रमुखी नरीमन पॉइंट, मुम्बई 400021 को सम्बोधित आवेदन के साथ प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी भी इस सूची को देख सकते हैं व इसमें से संबंधित सारांश ले सकते हैं।

- शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैंक अवकाश के अलावा सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 तक तथा शनिवार को प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 बजे के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारक के रजिस्टर में किसी भाग का कोई अंश ले सकें अथवा रु.5/- प्रत्येक 1000 शब्दों के हिसाब से पूर्व भुगतान पर उन अंशों के कम्प्यूटर प्रिंट लेने हेतु निवेदन कर सकें।

- चुनाव में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम दिनांक 25 नवम्बर 2011 को शेयरधारकों के रजिस्टर में है/एनएसडीएल/ सीडीएसएल/आरटीए द्वारा प्रस्तुत हितकारी स्वामी है, वे सहभागिता अर्थात् केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशक के चुनाव हेतु नामित करने, चुनाव लड़ने तथा वोट डालने के पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार दिनांक 25 नवम्बर 2011 की विनिर्दिष्ट तारीख को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत शेयरधारक, सामान्य सभा की तारीख से पूर्व तक हाथ दिखाकर वोटिंग में एक वोट तथा मतदान के मामले में उसके पास के प्रति शेयर पर एक वोट का अधिकार होगा।

• **DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:**

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank

and

(B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/ 2010-11 dated 23rd May, 2011, if he is not found to be 'Fit and Proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank.

• **LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS**

A list of shareholders of the Bank as on **25th November 2011** will be available for sale on and from **Thursday, 15th December 2011** onwards on payment of **50,000/- (Rupees fifty thousand only)** by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai, along with a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/Company Secretary, Central Bank of India, Head office, 16th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from.

• **INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Central Office of the bank (other than Bank holidays) from Monday to Friday between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer – prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or part thereof.

• **PARTICIPATION IN ELECTION**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL / RTA as on **25th November 2011**, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **25th November 2011, the Specified Date**, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

नामांकन :

नामांकन की वैधता

विनियम के विनियम 65 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना -डीबीओडी नंबीसी न. 46 एवं 47/ 29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007, सहपठित क्र.डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 एवं अन्य विविध अधिनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी का निदेशक पद के लिये नामांकन तभी वैध होगा जबकि :

- (ए) ऐसे शेयरधारकों के पास दिनांक **25.11.2011** को सेन्ट्रल बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर हों तथा दिनांक **09.01.2012** तक उनके पास 100 शेयर बने रहें एवं चुने जाने पर बाद में भी बने रहें
- (बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख **20.12.2012** तक वे विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य न हों.
- (सी) अधिनियम के अंतर्गत नामांकन लिखित में हो तथा कम से कम 100 ऐसे शेयरधारकों द्वारा, जो निदेशक चुनने के लिये पात्र हैं अथवा उनके विधिवत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हों. यदि नामांकन ऐसे शेयरधारक द्वारा है, जो कि एक कंपनी है तब नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, जिसकी एक सत्यप्रति लिपि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित, जिस बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, को सहायक महाप्रबंधक एमबीडी/कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 16 वां माला, चन्दरमुखी नरीमन पाइंट, मुम्बई 400021 को प्रेषित की जाए एवं यह प्रति उस कंपनी का नामांकन माना जायेगा.
- (डी) शेयरधारकों (कम से कम 100) के नामांकन के साथ संलग्न नामांकन एवं घोषणा के प्रारूप पर अभ्यर्थी का एक घोषणा पत्र, जो न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार अश्युरेंस, राजपत्रित अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी अथवा अन्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरित हो एवं जिसमें घोषणा हो कि उसे नामांकन स्वीकार है एवं वह निदेशक के चुनाव लड़ने के लिये इच्छुक है एवं वह बैंकिंग विनियम अधिनियम अथवा अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियम के अंतर्गत निदेशक बनने के लिये अयोग्य नहीं है.
- (ई) नामांकन फॉर्म एवं घोषणा पत्र विनियमों द्वारा निर्धारित हैं तथा संलग्न प्रारूपों के अनुसार हैं, जो बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध हैं.

नामांकन फॉर्म का प्रस्तुतीकरण

निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित जमा कराने होंगे.

- (ए) पूर्ण रूप से भरा घोषणा फॉर्म
- (बी) चुनाव में सहभागिता के लिये पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों द्वारा नामांकन
- (सी) व्यक्तिगत जानकारी, संबंधित दस्तावेजों के साथ घोषणा एवं वचन-पत्र, प्रमाण-पत्र जैसे बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अनुभव आदि इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतया भरे एवं सम्बंधित दस्तावेजों के साथ एक मुहरबंद लिफाफे में बैठक के कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्यालयीन दिवस में अर्थात् **शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2011** को कार्यालय समापन समय सायं 2.00 बजे के पूर्व सहा. महाप्रबंधक एमबीडी/कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 16 वां माला, चन्दरमुखी नरीमन पाइंट, मुम्बई 400021 को प्राप्त हो जाना चाहिये.

नामांकन की संवीक्षा और निदेशकों का चुनाव

- (ए) नामांकन प्राप्ति हेतु नियत तारीख के अगले दिन अर्थात् **सोमवार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2011** को नामांकनों की संवीक्षा की जायेगी. यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उस पर समुचित कारण लिखते हुए उसे रद्द कर दिया जायेगा.

• **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding, as on **25.11.2011** a minimum of 100 (one hundred) shares in Central Bank of India and continues to hold a minimum of 100 shares till **09.01.2012** and thereafter if he is elected, till the end of his tenure.
- (b) as on **20.12.2011** being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a Director under the Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations or RBI Notifications.
- (c) the nomination is in writing signed by at least 100 shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Bank addressed to the Assistant General Manager -MBD/Company Secretary, Central Bank of India, Head office, 16th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.
- (d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or Scheme or the Regulations.
- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website: www.centralbankofindia.co.in)

Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors should submit

- a) duly filled in Declaration Form;
- b) nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the Assistant General Manager- MBD/Company Secretary, Central Bank of India, Head office, 16th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at 2.00 pm on **Saturday the 24th December, 2011.**

• **SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS**

- (a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Monday, the 26th December, 2011**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

- (बी) नामांकनों की संवीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा भी की जायेगी.
- (सी) यदि चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली दो रिक्तियों के लिए केवल दो ही वैध नामांकन हों तो वे अभ्यर्थी, जिन्हें नामित किया गया है, वे स्वतः निर्वाचित मान लिये जायेंगे एवं उनके नाम व पते चुने गए तौर पर प्रकाशित कर दिए जायेंगे. ऐसी स्थिति में असाधारण सामान्य बैठक निरस्त मान ली जायेगी. जिस तारीख को अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किये गये हैं, उसकी अगली तारीख को वे पदभार ग्रहण करेंगे.
- (सी) यदि वैध नामांकन दो से अधिक हैं और चुनाव कराए जाते हैं, तब बहुमत प्राप्त अभ्यर्थियों को निर्वाचित माना जाएगा एवं उनके नाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा उनके नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे. वे दिनांक 10 जनवरी, 2012 को पद ग्रहण करेंगे.
- (ई) यदि इसमें कोई विवाद हो तो उसे विनियमों के विनियम 67 के अंतर्गत निपटाया जायेगा.

दिनांक 09.01.2012 की मतदान प्रक्रिया

निदेशकों का चुनाव हाथ उठा वोटिंग द्वारा न होकर, गोपनीय मतदान के माध्यम से किया जायेगा.

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की उद्घोषणा के तुरंत बाद मतपत्र जारी करने प्रारंभ कर दिए जायेंगे, जो दोपहर 1.30 बजे तक जारी किए जाएंगे.

इस सूचना के साथ संलग्न पास जमा करने पर ही मतपत्र जारी करने के लिये बनाये गये काउन्टरों से शेयरधारकों / प्रॉक्सी-धारक / अधिकृत प्रतिनिधि को मतपत्र जारी किए जाएंगे. वोटों की संख्या दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को उनके पास शेयरों की संख्या के बराबर होगी.

मतपत्र में अपनी पसंद के दो अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख (X) मोहर लगाकर एवं उसको मतपेटी में डालकर शेयरधारक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है.

इसके बाद वोटों की गिनती की जायेगी तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे.

मतदान की पूर्ण प्रक्रिया ए) बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त स्वतंत्र सलाहकार द्वारा की जायेगी तथा केन्द्र सरकार के नामित व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में उस पर निगरानी रखी जाएगी.

उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह शनिवार, दिनांक 7 जनवरी, 2012 को कार्यालय समाप्ति समय दोपहर 2.00 बजे के पूर्व तक ऐसा कर सकते हैं.

निदेशकों की रुचि

बैंक के निदेशक यदि इस चुनाव में खड़े होते हैं तो यह माना जायेगा कि उन्हें पूर्वोल्लिखित कारोबारी मदों में रुचि है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

ए.के.दास

सहायक महाप्रबंधक - एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 01.11.2011

- (b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification.
- (c) If there are only TWO valid nominations for the TWO vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Extra-Ordinary General Meeting will stand cancelled. The elected candidates shall assume office from the date next to the date on which they are declared as elected.
- (d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than TWO, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman and also published in newspapers. They will assume office on 10th January 2012.
- (e) If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Poll Process on 09.01.2012

The voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of Secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue upto 1. 30 p.m.

Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxy holders / authorised representatives on surrender of Ballot Paper Pass attached with this Notice. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 25th November 2011.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of TWO candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The Counting of votes would be taken up thereafter and the Results would be announced by the Chairman

The entire process of Election would be conducted by a) Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

Withdrawal Of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 7th January 2012.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

By Order of the Board of Directors
For Central Bank of India

Place : Mumbai
Date : 01.11. 2011

A K DAS
Assistant General Manager-MBD/ Company Secretary

घोषणा

(अभ्यर्थी द्वारा)

(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं,श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री,
श्री/श्रीमती.....निवासी.....एतद्वारा पुष्टि
करता/करती हूँ कि:-

- ए. मैं निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तिथि अर्थात् दिनांक 25.11.2011 को बैंक केइक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10/- धारित करने वाला/वाली एक शेयरधारक हूँ और
- बी. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा.....का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिये उपयोगी होगा) का विशेष ज्ञान है अथवा व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3ए की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं/कृषकों/कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ तथा उसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ सुसंगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ; और
- सी. मैं,संख्या के नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ.
- डी. मैं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ; एवं
- ई. मैं अधिनियम, योजना, विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक होने के लिये अयोग्य नहीं ठहराया गया हूँ; और
- एफ. मैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक की उप धारा (1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो लाभकारी पद धारित हूँ और न ही उसका/उसकी कर्मचारी हूँ.
- जी. मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ, जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है; तथा
- एच. मैं ऐसी किसी भी घटना से, यदि कोई हो, यथाशीघ्र बैंक को अवगत कराऊंगा/कराउगी, जो इस घोषणा के प्रस्तुत करने के बाद घटित होती है और जो यहां प्रस्तुत की जा रही सूचना एवं मेरे बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जाने पर प्रसंविदा विलेख के निष्पादन से संबंध रखती होगी.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी संख्या एवं ग्राहक आईडी संख्या	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये

मोहर सहित हस्ताक्षर _____

अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम _____

घोषणा किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार-एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरित होना चाहिये.

*(जो लागू न हो, उसे काट दें)

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt. _____ son/daughter
of Shri/Smt. _____, residing at _____
_____ hereby confirm that

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **25.11.2011, the Specified Date** for participating in the Elections and
- b) I have special knowledge or practical experience in* i) Agriculture and Rural Economy ii) Banking, iii) Co-operation, iv) Economics, v) Finance, vi) Law, vii) Small Scale Industry or _____
(special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the bank) and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and
- c) I accept the nominations numbering _____, and
- d) I am willing to contest the election for Director of Central Bank of India, and
- e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification, and
- f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and
- g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete and
- h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.

प्रति,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, चन्द्रमुखी,
नरीमन पॉइंट,
मुम्बई - 400021

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा)
(विनियमों के विनियम 65(डी) का संदर्भ लें)

महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपकी सूचना दिनांक के संदर्भ में, मैं, श्री/श्रीमती..... निर्वाचन में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् 25 नवम्बर 2011 को रु.10/- मूल्य के इक्विटी शेयर धरित करने वाला सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयरधारक एतद्वारा श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/ पत्नी..... निवासी..... को सोमवार, दिनांक 9 जनवरी 2012 को आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में यथा उपबंधित बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जाने हेतु नामित करता/करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/ डीपी आईडी संख्या एवं ग्राहक आईडी संख्या	
स्थान	
दिनांक	

नोट:

- यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिये, जिसमें यह पारित किया गया था.
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए.

To,

The Chairman and Managing Director
Central Bank of India,
Head Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400 021

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

Dear Sir,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated _____, I, Shri/Smt _____ a shareholder of Central Bank of India, holding _____ equity shares of Rs.10/- each on Friday, 25th November 2011 (being the Specified Date considered for participating in the Election) do hereby **nominate** Shri / Smt. _____ son / daughter of Shri / Smt. _____ residing at _____ for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extra-Ordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Monday, 9th January 2012.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन

अभ्यर्थी द्वारा उचित अनुलग्नकों के साथ दिनांक की घोषणा एवं वचन	
1.	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण
ए.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
	पिता का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
बी.	जन्म तिथि
सी.	शैक्षणिक योग्यता
	शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक/अकादमिक)(कृपया उक्त सूचना के समर्थन में स्व-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
	योग्यता (व्यावसायिक)(कृपया उक्त सूचना के समर्थन में स्व-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
डी.	प्रासंगिक पृष्ठभूमि एवं अनुभव (बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत (कृपया उक्त सूचना के समर्थन में स्व-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) बैंक के निदेशन से संबंधी अन्य कोई सूचना
ई	स्थायी पता
एफ	वर्तमान पता
जी	ई-मेल पता
	दूरभाष क्र. (लैंडनाइन)
	दूरभाष क्र. (मोबाइल)
एच.	(१) स्थायी खाता संख्या (आयकर अधिनियम के अंतर्गत)
	(२) जहां उम्मीदवार द्वारा आयकर रिटर्न जमा किया जा रहा है उस आयकर वृत्त/मंडल का नाम एवं पता
आई	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत)
जे	बैंक के निदेशक संबंधी अन्य कोई सूचना

Affix Self
Attested Passport
Size Photo here

Personal Information, Declaration and Undertaking

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ____ 2011		
I.	Personal details of the candidate	
a.	Full Name (in block capital letters)	
	Father's Name (in Full)	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualification	
	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
d.	Relevant Background and Experience	
	(As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
	(Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
	Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-Mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
h.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act).	
	(2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
I.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	

II	उम्मीदवार के सुसंगत संबंध	
ए	उम्मीदवार के ऐसे सम्बन्धियों, (यदि कोई हों) की सूची, जो बैंक से जुड़े हैं (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए के अनुसार)	
बी	ऐसी संस्थाओं की सूची, जिनमें माना जाता है कि उम्मीदवार का हितबद्ध है (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए); धारा 300 का संदर्भ लें)	
सी	ऐसी संस्थाओं की सूची, जिनमें माना जाता है कि बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अभिप्राय के अंतर्गत उम्मीदवार का वर्तमान व प्रस्तावित पर्याप्त हित सम्बद्ध है.	
डी	बैंक (बैंकों) का/के नाम, जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का/की सदस्य है अथवा रहा/रही है (उस अवधि का विवरण दें, जिसके दौरान यह पद धारित किया गया था.)	
ई	उम्मीदवार द्वारा स्वयं अथवा उपर्युक्त क्रम संख्या II(बी) एवं (सी) में वर्णित संस्थाओं द्वारा वर्तमान में बैंक से प्राप्त की जा रही निधि एवं गैर निधि आधारित ऋण सुविधाएं, यदि कोई हों,	
एफ	ऐसे मामले, यदि कोई है, जिनमें उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त क्रम संख्या II(बी) एवं (सी) में वर्णित संस्थाएं जिन्होंने बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से लिए गए ऋण की चुकौती में चूककर्ता रहे हों.	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड	
ए.	सुसंगत व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV	निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदि कोई हो.	
ए.	यदि निदेशक किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो क्या उनके विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा अनुशासनिक कार्यवाहियां, यदि कोई हो, शुरू की गईं अथवा जिसके परिणामस्वरूप दोषी करार दिए गए हों. और क्या उन्हें कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रवेश पर प्रतिबंधित किया गया है?	
बी.	निदेशक और/अथवा उपर्युक्त क्रम संख्या II(बी) एवं (सी) में वर्णित संस्थाओं को पूर्व में आर्थिक नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन के लिये किसी प्रकार के अभियोजन प्रारंभ अथवा लंबित हों अथवा जिनके परिणामस्वरूप वे दोषी पाए गए हों, का विवरण	

II	Relevant Relationships of Candidate	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he / she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
c.	List of entities in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he / she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant	
IV	Proceedings, if any, against the director	
a.	If the director is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of any profession / occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and / or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	

सी.	निदेशक के विरुद्ध पूर्व में प्रारंभ/लंबित किसी प्रकार के अपराधिक मामले अथवा जिनके परिणामस्वरूप दोषी करार दिए गए हों, का विवरण	
डी.	क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 में विचारित अनर्हताओं में से किसी एक अनर्हता के परिप्रेक्ष्य में उम्मीदवार अनर्हता है ?	
ई.	क्या निदेशक अथवा उपर्युक्त क्रम संख्या II (बी) एवं (सी) में वर्णित संस्थाओं में से कोई भी किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की ओर से किसी जांच के अधीन है ?	
एफ.	क्या निदेशक को कभी नियमों/विनियमों/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों की विधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है ? यदि हाँ तो विवरण प्रस्तुत करें.	
जी.	क्या निदेशक को कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारिबैं, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि नियामक द्वारा प्रतिकूल नोटिस दिया गया है. (यद्यपि उम्मीदवार को नियामक द्वारा दिये गये आदेशों और परिणामों, जो बाद में वापस ले लिये गये/हटा दिये गये हों, को इस कॉलम में हूबहू लिखने की आवश्यकता नहीं है. बल्कि उसका सिर्फ उल्लेख करना है, यदि उक्त वापसी/हटाए गए मामले तकनीकी कारणों जैसे परिसीमन अथवा क्षेत्राधिकार इत्यादि सम्बंधित हों, न कि गुण-दोष पर आधारित). नियामक द्वारा दिए गए आदेश यदि अस्थायी रूप से रोके गये हैं और अपील/न्यायालय के परिणाम लंबित हैं, ऐसे मामले भी उल्लेखित किये जाने चाहिये.	
V	मद। से III के सम्बंध में कोई अन्य व्याख्या/सूचना तथा ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो उम्मीदवार को उपर्युक्त तथा उचित ठहराने की दृष्टि से संगत पाई जाती है.	
<p>घोषणा</p> <p>मैं सुपुत्र/सुपुत्री श्री पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है. मैं ऐसी किसी भी घटना से, यथाशीघ्र बैंक को अवगत कराऊंगा/गी, जो मेरे निर्वाचित होने के बाद घटित होती है और जो उपर्युक्त दी गयी जानकारी से संबंधित होगी.</p> <p>मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख, जो बैंक के प्रत्येक निदेशक द्वारा निष्पादित की जानी चाहिये, निष्पादित करूंगा/करूंगी.</p>		

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक :

नोट : 1. जहां भी पर्याप्त स्थान न हो, कृपया जानकारी क्रमानुसार और उपर्युक्त संदर्भ सहित दें

2. सभी पृष्ठ (संलग्नक सहित) अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिये.

c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director	
d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Companies Act 1956 ?	
e.	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the director at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g.	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA, CIBIL etc,(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	
<p>Undertaking</p> <p>I, _____ Son/Daughter of Shri _____</p> <p>confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.</p> <p>I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by all the Directors of the Bank.</p>		

Place :

Date :

Signature of the Candidate

Enclosures :

- Note:
1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
 2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

नामांकन समिति की टिप्पणी

सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

Observations of the Nomination Committee:

Signature of Member	Signature of Member	Signature of Member	Signature of Member

Date

Place



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 में स्थापित - 'CENTRAL' TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास

असाधारण सामान्य बैठक

दिनांक: सोमवार, 9 जनवरी, 2012 प्रातः 11.00 बजे

स्थान: सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास,
जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई -400 056

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय प्रस्तुत की जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/एआर)	पत्रा सं./डीपीआईडी सं./क्लार्क आईडी सं.	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

असाधारण सामान्य बैठक दिनांक: सोमवार, 9 जनवरी, 2012 प्रातः 11.00 बजे

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/एआर)	पत्रा सं./डीपीआईडी सं./क्लार्क आईडी सं.	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२१

मतपत्र पास

(मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतदान केन्द्र काउंटर पर सौंपा जाए)

असाधारण सामान्य बैठक दिनांक: सोमवार, 9 जनवरी, 2012 प्रातः 11.00 बजे

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/एआर)	पत्रा सं./डीपीआईडी सं./क्लार्क आईडी सं.	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि ने मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर के प्रस्तुत करें. प्रवेश पास-सह-मतपत्र का हिस्सा शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो इस मीटिंग के समापन तक अपने पास रखेंगे. मतपत्र प्राप्त करने के लिए मत-पत्र सौंपा जाए. किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा.



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point 400 021

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Date : Monday, the 9th January 2012 at 11.00 A.M

Venue: Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College,
Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme,
Vile Parle (west), Mumbai, 400056

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO NO./DPID No./ CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present _____

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point 400 021

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING Date: Monday, the 9th January 2012 at 11.00 A.M

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO NO./DPID No./ CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present _____

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point 400 021

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Paper)

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING Date: Monday, the 9th January 2012 at 11.00 A.M

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO NO./DPID No./ CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present _____

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass-cum-Ballot Paper Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass-Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass-cum Ballot Paper Pass be issued.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत पृष्ठ सं. (यदि डीमटीरियलाइज्ड नहीं है)
डीपी आईडी संख्या
ग्राहक आईडी संख्या (यदि डीमटीरियलाइज्ड है)

मैं/हम _____ निवासी _____
जिला _____, राज्य _____, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से
श्री/सुश्री _____ निवासी _____
जिला _____, राज्य _____, को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री _____
_____ निवासी _____ जिला _____, राज्य _____
_____, को दिनांक: सोमवार, 9 जनवरी, 2012 प्रातः 11.00 बजे, स्थान: सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर
अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों
की आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।
तारीख _____ माह _____ वर्ष 2011/2012 को यह हस्ताक्षरित किया गया*.

* जो लागू न हो उसे काट दें.

रसीदी
टिकट

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपका साथ है। (CENTRAL TO YOU SINCE 1911)

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point 400 021

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.

(if not Dematerialised)

DP ID No.

Client ID No. (if Dematerialised)

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder / shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extra-Ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India to be held on Monday, 9th January 2012 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai, 400056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011/2012 *

Strike out whichever is not applicable.

Revenue
stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name: _____

Address _____

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. प्रॉक्सी का प्रपत्र ऐसे भी किसी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, लेकिन जिसके चिह्न को न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो.
3. प्रॉक्सी को मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/ कंपनी सचिव, प्रधान कार्यालय, 16 वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 को असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दि. 04 जनवरी, 2012 को बैंक के कार्यालयीन समापन समय सांय 5.00 बजे से पहले जमा की जाए.
4. विधिवत स्टाम्पित नहीं होने पर प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.
5. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
6. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक से अधिक प्रपत्र निष्पादित नहीं किया जाएगा.
7. शेयरधारक द्वारा प्रॉक्सी का प्रपत्र दिए जाने पर वह व्यक्तिगत रूप से असाधारण सामान्य बैठक में इस प्रॉक्सी से संबंधित मतदान हेतु पात्र नहीं होगा.
8. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. The proxy together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of the Bank with the Assistant General Manager- MBD/ Company Secretary, Head Office, 16th Floor, Chandramukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before 5.00 pm, the closing hours of the Bank on Wednesday, 4th January 2012.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extra-ordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. **No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Central Bank of India.**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

ऋणों और अग्रिमों पर निर्बंधन - धारा 20

1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई भी बैंककारी कम्पनी -

ए) अपने शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, अथवा

बी) निम्नलिखित को अथवा उसकी ओर से कोई ऋण अथवा अग्रिम अथवा अग्रिमों को मंजूर करने के लिए कोई अभिबंधन नहीं करेगी-

i. अपने किसी निदेशक को,

ii. किसी ऐसी फर्म को, जिसमें भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में उसके किसी निदेशक का हित हो, अथवा

iii. किसी ऐसी कंपनी को, जो किसी बैंककारी कम्पनी या कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन, किसी पंजीकृत कम्पनी की अनुषंगी न हो अथवा किसी ऐसी सरकारी कम्पनी को (अथवा धारक कंपनी के अनुषंगी को), जिसका कोई निदेशक कि बैंककारी कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता हो अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित हो, अथवा निदेशक किसी बैंककारी कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता हो अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित हो, अथवा

iv. किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत इसका कोई निदेशक भागीदार अथवा गारंटीकर्ता हो.

2. यदि किसी बैंककारी कम्पनी द्वारा प्रदत्त कोई ऋण अथवा अग्रिम ऐसा हो कि जिस तारीख को ऋण अथवा अग्रिम दिया गया था, उस तारीख को यदि उप-धारा (1) का खंड (बी) प्रवृत्त रहता तो उक्त ऋण अथवा अग्रिम मंजूर करने के लिए अभिबंधन नहीं हुआ होता (अथवा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58)) की धारा 5 के प्रारंभ होने के बाद परंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व किए गए अभिबंधन के अनुसरण में बैंककारी कम्पनी द्वारा मंजूर किया जाता है. तो बैंककारी कम्पनी को देय उक्त ऋण अथवा अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की, यदि कोई हो, की वसूली, ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करते समय निर्धारित अवधि के भीतर अथवा यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो तो कथित धारा 5 प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, :

परंतु यह कि, भारतीय रिज़र्व बैंक को यदि बैंककारी कम्पनी से लिखित रूप से इस सम्बंध में कोई आवेदन प्राप्त होता है तो वह ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि को एक निश्चित तारीख तक बढ़ा सकेगा परंतु ऐसी तारीख कथित धारा 5 के लागू होने के तीन वर्ष की अवधि के पश्चात की कोई तारीख नहीं होगी और वह ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी, जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे.

परंतु यह और कि, यदि बैंककारी कम्पनी के निदेशक का पद सम्बंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पदत्याग के कारण अथवा अन्यथा खाली होता है तो यह उप-धारा लागू नहीं होगी.

3. उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसका कोई भाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बगैर विप्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बगैर, कोई भी विप्रेषण शून्य एवं अप्रभावी होगा.

4. जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा देय किसी ऋण अथवा अग्रिम का भुगतान, उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंककारी कंपनी को नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को यदि ऐसी बैंककारी कंपनी का निदेशक है, उक्त तारीख को उसके द्वारा यह पद रिक्त किया गया, ऐसा माना जाएगा.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Restrictions on Loans and Advances: Section 20:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956(1 of 1956), no banking company shall -
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -
 - i. any of its directors,
 - ii. any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - iii. any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the directors of the banking company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - iv. any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.
2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of Sec. 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5:

Provided that the Reserve Bank may, in any case on an application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5, and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
3. No Loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

(ए) "ऋण अथवा आगम" के अंतर्गत ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा, जिसे लेनदेन के स्वरूप को, उस अवधि, जिसके भीतर, उस रीति एवं परिस्थितियों को, जिनमें लेनदेन के परिप्रेक्ष्य में देय किसी राशि को वसूली किए जाने की संभावना है तथा जमाकर्ताओं के हित एवं अन्य सुसंगत प्रतिकूल को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण अथवा आगम के रूप में विनिर्दिष्ट न करे;

(बी) "निदेशक" के अंतर्गत किसी बैंककारी कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड अथवा समिति का, कोई ऐसा सदस्य शामिल है, जिसे उसका प्रबंध करने अथवा उसके सभी अथवा किसी मामले का प्रबंध करने के प्रयोजनार्थ अथवा परामर्श देने के प्रयोजनार्थ नियुक्त किया गया हो।

५. यदि यह प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ, कोई लेनदेन ऋण अथवा आगम है अथवा नहीं, तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार पर निर्बंधन

धारा 3 (2ई) :

नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शोधपरधारक, उस संबंधित बैंक के सभी शोध पर अपने द्वारा धारित शोधों के संबंध में धारकों के कुल मताधिकार का 1% से अधिक के मताधिकार का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3) (i) :

यदि धारा 3 की उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के अधीन जारी पूंजी :-

(1) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक न हो तो एक निदेशक;

(ii) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक, परंतु बतीस प्रतिशत से अधिक न हो तो दो निदेशक;

(iii) कुल प्रदत्त पूंजी के बतीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशक, जिनका चुनाव केन्द्र सरकार से भिन्न सभी शोधपरधारक उन्हीं में से करेगी, बशर्ते कि इस खंड के तहत निदेशक के चयन के उपरान्त कार्यभार संभालने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक समान संख्या में उस प्रकार सेवा निवृत्त होंगे, जैसा योजना में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

धारा 9(3ए) :

उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निर्वाचित होने वाले निदेशक -

(ए) निर्माताहित में से किसी एक अथवा अधिक मामलों का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, यथा

Explanation - In this Section

- a) **"Loan or advance"** shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;
- b) **"Director"** includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

⇒ **Restriction on voting rights**

Section 3 (2E):

No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

⇒ **Composition of the Board of Directors**

Section 9(3) (i):

Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- (I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one director;
- (II) more than sixteen per cent, but not more than thirty-two per cent of the total paid-up capital, two directors;
- (III) more than thirty-two per cent of the total paid-up capital, three directors, to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Section 9(3A):

The directors to be elected under clause (i) of sub-section (3) shall -

- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

ii. बैंकिंग,

iii. सहकारिता,

iv. अर्थशास्त्र,

v. वित्त,

vi. विधि,

vii. लघु उद्योग

viii. कोई अन्य विषय, जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समरूप नए बैंक के लिए उपयोगी हो :

बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे; अथवा

सी) कृषकों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे.

धारा 9 (3ए) :

उप-धारा 3 (ए) के उपबंध पर पूर्वाग्रह के बिना और इस अधिनियम अथवा वर्तमान में प्रभावी अन्य विधानों के निहितार्थों के प्रतिकूल होने के बावजूद कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन एक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए, उस समय तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह अपने पिछले रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बंध में अधिसूचित मानदंडों के अनुरूप उपयुक्त एवं समुचित" प्रतिष्ठित न हो.

धारा 9 (3बी) :

उप-धारा 3 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में भारतीय रिज़र्व बैंक, उपयुक्त व समुचित प्रतिष्ठा निर्धारित करने का प्राधिकारी, उक्त निर्धारण का तरीका व प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक समझे जानेवाले अथवा प्रासंगिक मामलों को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है.

धारा 9 (3बी) :

जब भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय हो कि धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी तदनुरूपी बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3ए) एवं (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद जारी आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को उसके पद से हटा सकता है और इस प्रकार उसे पद से हटाने के बाद, उसके स्थान पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो निदेशक के रूप में उप-धारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, तब तक के लिए सहयोजित करेगा, जब तक अगली वार्षिक सामान्य बैठक में तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत रूप से नए निदेशक का निर्वाचन नहीं कर लिया जाता है तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया माना जाएगा.

- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small-scale industry
- viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new bank;

B) represent the interests of depositors; or

C) represent the interest of farmer, workers and artisans.

Section 9 (3AA) :

Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9 (3AB) :

The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9 (3B):

Where the Reserve Bank is of the opinion that any director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfil the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may, after giving to such director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such director and on such removal, the Board of directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA) as a director in place of the person so removed till a director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a director.

अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित कोई अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक, अथवा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (बी) अथवा खंड (सी) अथवा खंड (डी) में विनिर्दिष्ट कोई निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है और ऐसा पदत्याग केन्द्र सरकार द्वारा पदत्याग सम्बंधी संदेश प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।

पद का परित्याग कर दिया है तथा कोई अन्य निदेशक, केन्द्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे पदत्याग को स्वीकार कर लिए जाने पर यह माना जाएगा कि उसने अपने पद खंड (बी) अथवा खंड (सी) अथवा खंड (डी) में विनिर्दिष्ट कोई निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद का परित्याग कर दिया है और इस प्रकार उसका पद रिक्त हो जाएगा।

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन अयोग्य होता है अथवा निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना लगातार तीन बैठकों से अधिक में अनुपस्थित रहा हो तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है और इस प्रकार उसका पद रिक्त हो जाएगा।

खंड 11 : निदेशक के पद का परित्याग इत्यादि :

के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के तहत लाभ का पद धारित करता हो।

1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुबंधी बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) निदेशक तथा निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक-पद धारित करने के सिवाय, भारतीय स्टेट बैंक (अनुबंधी बैंक) अधिनियम, वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) तथा (एक) के तहत तदनुकूल नए बैंक के कर्मचारियों में से नामित प्रबंध (डी) फौजदारी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित हो; अथवा

(सी) वह विधि लगाता हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया जा चुका हो; अथवा

(बी) किसी समय वह न्यायिक रूप से दिवालिया घोषित हुआ हो अथवा उसने कोई ऋण अदा न किया हो अथवा अपने लेनदारों से बिना

(ए) किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए योग्य नहीं होगा, यदि -

खंड 10 : बैंक के निदेशक के रूप में चयन होने के लिए अनर्हता :

वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारित नहीं करेगा।

9(4) : कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा एवं वह पुनः चयन का पात्र होगा, बशर्ते ऐसा कोई निदेशक सतत छः

खंड 9 : निर्वाचित निदेशकों की पदावधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड अथवा समिति का सदस्य, अथवा लेखा परीक्षक, सलाहकार तदनुकूल नए बैंक का कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, कार्यभार संभालने के पूर्व राष्ट्रीय अनुसूची में वर्णित फॉर्म में विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में घोषणा करेगा।

धारा 13(2) :

विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में घोषणा :

Obligation as to fidelity and secrecy:

Section 13(2):

Every director, member of a local board or a committee, or Auditor, Advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

⇒ **Clause 9: Term of office of elected Directors**

9(4): An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

⇒ **Clause 10: Disqualification from being elected as a Director of the Bank:**

A person shall be disqualified from being appointed as, and for being, a Director, -

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new Bank.

⇒ **Clause 11: Vacation of office of Director etc.:**

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications as specified in clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

का प्रस्ताव रखता है, अथवा

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी ऐसी सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति में दो प्रतिशत से अनधिक प्रदत्त पूंजी धारित करने वाला कोई शोधधारक (निदेशक से भिन्न) है, जिसके साथ अथवा जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था की है अथवा करने

परंतु यह कि, इस उप-खंड में अंतर्निहित कोई बात ऐसे निदेशक पर केवल इस वजह से लागू नहीं होगी कि वह :

है वह किसी ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था अथवा प्रस्ताव पर अपना मत नहीं देगा:

प्रयोजनार्थ अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा न की जाए तथा जिस निदेशक की उपस्थिति की इस प्रकार अपेक्षा की जाती ऐसे किसी संविदा ऋण, व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया जाता है, तब तक उपस्थित नहीं होगा, जब तक उससे जानकारी प्राप्त करने के बाद यथाशीघ्र वह अपने हित के स्वरूप का प्रकटीकरण निदेशक मंडल के समक्ष करेगा तथा वह निदेशक मंडल की उस बैठक में, जिसमें व्यवस्था अथवा प्रस्ताव से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंध रखता है अथवा उसमें उसका हित है तो सुसंगत परिस्थितियों की जानकारी होने यदि कोई निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अथवा उसकी ओर से किए जाने वाले अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण

खंड १२(८) : निदेशकों द्वारा अपने हित का प्रकटीकरण

लिए पद धारित करेगा।

2. उप-खंड (1) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित अथवा सहयोगित कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के असमाप्त अंश के

परंतु यह कि, यदि रिकॉर्ड की अवधि छह माह से कम रहने की संभावना है तो उक्त रिकॉर्ड शेष निदेशकों से भरी जा सकती है।

1. किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कोई रिकॉर्ड होने पर वह रिकॉर्ड निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।

खंड 11बी : निर्वाचित निदेशक के रिकॉर्ड को भरना

स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार से भिन्न शोधधारक, जो कुल शोध पूंजी के कम से कम आधी पूंजी के धारक हों, वे बहुमत से धारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (1) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकते हैं और उक्त रिकॉर्ड को भरने के लिए उसके

खंड 11 ए : किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना :

भरी जाएगी।

4. यदि निर्वाचित निदेशक से भिन्न किसी निदेशक का पद खाली होता है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार

(एक) में वर्णित निदेशक का पद खाली हो जाएगा।

समाप्त हो जाती है, पूर्ववर्ती उपबंध के होते हुए भी अधिनियम की धारा 9 के उप-खंड 3 की उप-धारा (11) के खंड (ई) अथवा खंड

3. राष्ट्रीयकृत बैंक का वह निदेशक, जिसकी उस बैंक में कर्मकार अथवा कर्मकार से अलावा अन्य कर्मचारी की हैसियत जैसे ही

3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than a workman of the nationalised bank of which he is a Director
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

⇒ **Clause 11 A: Removal from office of an elected Director:**

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under clause (i) of sub section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

⇒ **Clause 11B: Filling of vacancy in the office of an elected Director**

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled in by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

2. A person elected or co-opted as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

⇒ **Clause 12(8): Disclosure of Interest by Directors**

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being

- i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two per cent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (I of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make a contract, loan, arrangement or proposal, or

- (vi) बैंक के स्थान अथवा उसके अध्यक्ष के चुनाव प्रश्न पर मतदान की मांग पर गुरंत कार्रवाई की जाएगी।
- (v) जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों ने मतदान के लिए मांग की है, वह/वे किसी भी समय अपनी मांग को वापस ले सकता/ते है/हैं।
- (iv) किसी भी प्रस्ताव पर हथ दिखाकर किए गए मतदानों के परिणामों की घोषणा पर या उससे पूर्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के प्रवेदन से मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित किसी शोधप्रधारक या शोधप्रधारकों या प्रावसी, जिसके पास बैंक के ऐसे शोधर हैं, जो प्रस्ताव पर मतदान देने का अधिकार देते हैं तथा जो इस प्रस्ताव के संबंध में कुल मतदान शक्ति के कम से कम पांचवें भाग की मतदान शक्ति रखते हैं, की मांग पर उस बैंक के अध्यक्ष द्वारा मतदान के आदेश दिए जा सके।
- (iii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत जब तक कि मतदान की मांग न की गई हो, बैंक के अध्यक्ष की इस आशय की घोषणा कि, हथ दिखाकर कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति अथवा किसी निश्चित बहुमत से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर लिया गया है और तत्संबंधी प्रविष्टि बैंक की कार्यवाही के कार्यवाही की पुष्टिका में कर दिए जाने पर उस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतों की संख्या या मतोंश के संबंध बिना उसे निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
- (ii) अधिनियम में जब तक अन्यथा न कहा गया हो, सामान्य बैंक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा।
- (i) किसी भी सामान्य बैंक में वोट के लिए प्रस्तुत संकल्प का निर्णय हथ दिखाकर किया जाएगा, जब तक कि उस पर मतदान की मांग न की गई हो।

61. सामान्य बैंकों में मतदान

शोधप्रधारकों की बैंक

अध्याय IV

यदि शोधर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम हैं तो मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, सूचना देने अथवा शोधर अंतरण के अलावा बैंक से जुड़े किसी अन्य मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम नाम की ही एकमात्र धारक माना जाएगा।

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

शोधर एवं शोधर रजिस्टर

अध्याय II

सेटल बैंक ऑफ इंडिया (शोधर एवं मॉडिंस) विनियमन, 1998

- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी है और यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) अथवा खंड (एफ) में यथा निर्दिष्ट निदेशक है।

- ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a Director referred to in clause (e) or clause (f) of subsection (3) of Section 9 of the Act.

CENTRAL BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

10. Exercise of rights of joint holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

61. Voting at general meetings

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding share in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

- (सी) उसने अपने अकेले अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों की राशिओं के सम्बंध में की गई सभी मांगों का भुगतान एवं मांगों की निवत तारीखों अथवा उनसे पूर्व न कर दिया हो।
- (बी) वह नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को इस अधिनियम अथवा इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं हो;
- (ए) वह बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक न हो;
- (i) निदेशक के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि:

65. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर क्रय करने के लिए उपलब्ध होगी।
- (iii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या एवं शेयरों की निर्दिष्ट संख्या, शेयरों के पंजीकरण की तारीख और जिस तारीख को मतदान होगा है, उस दिन उनके पास वोटों की संख्या दर्शाई जाएगी तथा उक्त सूची की प्रतियाँ बैठक के लिए निवत तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निदेशक मंडल अथवा प्रबंधन समिति द्वारा निवत मूल्य पर प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर क्रय करने के लिए उपलब्ध होगी।
- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ, रजिस्टर में दर्ज उन शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का निर्वाचन किया जाना है।

64. शेयरधारकों की सूची

- किए जाएंगे।
- (ii) जिस सामान्य बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो तो तत्संबंधी सूचना उस बैठक के आयोजन की सूचना में सम्मिलित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में निवर्चित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या व उन रिकॉर्डों सम्बंधी विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (i) धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन, बैंक की सामान्य बैठक में, रजिस्टर में दर्ज केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा उनके अपने बीच से निदेशक का निर्वाचन किया जाएगा।

63. सामान्य बैठक में निवर्चित किए जाने वाले निदेशकगण

निदेशकों का निर्वाचन

अध्याय V

अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

- (viii) किसी व्यक्ति के मतदान की योग्यता एवं मतदान के मामले में भी, किसी व्यक्ति के मत की संख्या की संश्लेषण के बारे में बैठक के भीतर मतदान कराया जाएगा।
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग पर बैठक के अध्यक्ष के निर्देशानुसार किसी समय परानु उक्त मांग किए जाने के 48 घंटों के

- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise, shall be final.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at general meeting

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purpose at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head-Office.

65. Nomination of candidates for election

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - (a) He is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank.
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

किन्हीं दो निदेशकों से मिलकर बनी है।

(iii) उप-विनियम (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) एवं (सी) के अधीन नामित निदेशक, ऐसे संदेह अथवा विवाद को, एक ऐसी समिति को निर्णय करने हेतु सौंपेंगे, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उसकी

विवाद करने के आधार का पूरा ब्योरा देगा/देगी।

(i) यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित माने गए अथवा घोषित किए गए किसी व्यक्ति की अनर्हता के सम्बंध में अथवा निदेशक के निर्वाचन की वैधता के सम्बंध में कोई संदेह अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार एवं हितबद्ध कोई उम्मीदवार अथवा शोधरधारक ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से सात दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष निर्वाचन की वैधता के सम्बंध में कोई संदेह अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार एवं

67. निर्वाचन संबंधी विवाद

(iii) किसी विद्यमान रिकॉर्ड को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक को उस तारीख से अगली तारीख को पदग्रहण किया गया माना जाएगा, जिस तारीख को वह निर्वाचित हुआ अथवा हुआ माना गया है।

(iii) निर्वाचन होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन, निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है तो जिस उम्मीदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत पड़े हों, उसे निर्वाचित माना जाएगा।

(i) नामांकन की संवीक्षा, नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के बाद के प्रथम कार्यदिन को की जाएगी और यदि कोई सूचना वैध नहीं पाई जाती है तो कारण अधिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली किसी विशेष रिकॉर्ड के लिए केवल एक ही वैध नामांकन है तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति का नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि बैठक केवल उपर्युक्त निर्वाचन के लिए ही बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।

66. नामांकन की संवीक्षा

(ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि वह सभी सम्बद्ध दस्तावेजों सहित सभी तरह से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यलय में किसी कार्य-दिवस को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्राप्त न हो गया हो।

(ई) नामांकन के साथ अभ्यर्थी द्वारा न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों सहित सभी तरह घोषित किया गया हो कि वह अधिनियम, योजना अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है, संलग्न न हो।

नामांकन माना जाएगा;

(डी) नामांकन लिखित रूप में नहीं है और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के पात्र कम से कम एक सौ शोधरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत रूप से नियत अदालतों के हस्ताक्षर न हों, परंतु यह कि यदि शोधरधारक कोई कंपनी है तो उस कंपनी के निदेशकों के संकल्प, जिसकी प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें उक्त संकल्प पारित किया गया है, के द्वारा सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यलय को प्रेषित किए जाने पर उस प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से किया गया

- (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (1), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

- (ii) कोई व्यक्ति, बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कंपनी के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित नहीं होगा अथवा मतदान नहीं करेगा, जब तक विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति सम्बंधी संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य-प्रति हो, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व प्रस्तुत न की गई हो।
- (i) कोई शेयरधारक, चाहे वह केन्द्र सरकार हो अथवा कोई कंपनी हो, संकल्प द्वारा यथा स्थिति, अपने किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में "विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि" कहा जाएगा) केन्द्र सरकार अथवा उस कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा, मानो वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो। इस प्रकार का प्राधिकार वैकल्पिक दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में, उनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।
69. विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- (iii) किसी सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर अपने प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह कोई शेयरधारक हो अथवा नहीं) नियुक्त करने का हक होगा, परंतु इस प्रकार नियुक्त किसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) इस अधिनियम की धारा 3 (2ई) के उपबंधों के अधीन, यथा पूर्वोक्त रूप में मतदान करने के लिए हकदार, प्रत्येक ऐसे शेयरधारक को, जो कंपनी न हो और व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो अथवा जो कंपनी हो और विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, उप-नियम (i) में वैसे ही ऊपर कहा गया है, हथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जाने वाले प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का उसे अधिकार होगा। स्पष्टीकरण - इस अध्याय में, "कंपनी" से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है।
- (i) इस अधिनियम की धारा 3 (2ई) में अंतर्निहित उपबंधों के अधीन, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जिनका नाम किसी सामान्य बैठक की तारीख के पूर्व रजिस्टर बंद किए जाने की तारीख को शेयरधारक के रूप में दर्ज है, ऐसी बैठक में हथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

68. मताधिकार का निर्धारण

शेयरधारकों के मताधिकार

अध्याय VI

- (iv) इस विनियम के अनुसरण में इस समिति के आदेश एवं निर्देश निष्पत्तिक होंगे।
- (iii) उप-विनियम (ii) में निर्दिष्ट समिति, जिस तरह की जांच आवश्यक समझेगी, उस तरह की जांच करेगी और यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, अथवा यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने से तीस दिन के भीतर नया निर्वाचन करने के आदेश सहित ऐसे आदेश पारित करेगी एवं ऐसे निर्देश देगी, जो उन परिस्थितियों में समिति को उचित प्रतीत होते हैं।

- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights

- (i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)
- (i) Explanation - For this Chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government / Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. प्रॉक्सीज़

- (i) प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि यह उसके स्वयं के द्वारा अथवा लिखित में उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है अथवा संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में उल्लेखित प्रथम नाम शेयरधारक द्वारा अथवा उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है अथवा कॉर्पोरेट निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

वशर्ते कि प्रॉक्सी का प्रपत्र किसी उस शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असक्षम है, यदि उसका चिह्न उसमें लगाया गया है तथा न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वरेंस के रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार अथवा अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा बैंक के किसी अधिकारी ने साक्षात्कृत किया है।

- (ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी; जब तक कि यह विधिवत स्टाम्पित नहीं है तथा तत्संबंधी उसकी प्रति मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ बैंक के मुख्य कार्यालय में जमा नहीं की गई है, वशर्ते कि इस तरह का मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) अथवा अन्य कोई प्राधिकार बैंक के पास पूर्व में जमा नहीं किया गया हो।

- (iii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी; जब तक कि यह फॉर्म "बी" में नहीं है।

- (iv) बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।

- (v) प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक से अधिक प्रपत्र निष्पादित नहीं किया जाएगा।

- (vi) इस विनियमन के तहत प्रॉक्सी का प्रपत्र दिए जाने पर प्रदाता व्यक्तिगत रूप से उस बैठक में इस प्रॉक्सी से संबंधित मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए यह दिया गया है।

- (vii) बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

70. Proxies

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing:

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Bank.

- (ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- (iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- (vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

(इकाई - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड

एल.बी.एस.मार्ग, भांडुप (पश्चिम)

मुंबई, 400078

फोन : (022) 2596 3838

फैक्स : (022) 2594 6969

ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Share Transfer Agent:

Link Intime India Private Limited

(Unit-CENTRAL BANK OF INDIA)

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg,

Bhandup (West)

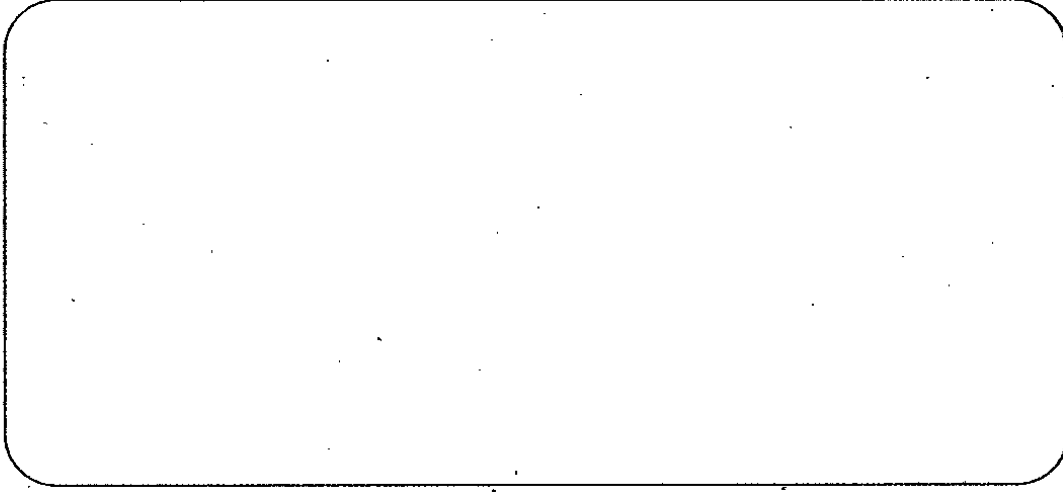
Mumbai, 400078

Phone: (022) 2596 3838

Fax: (022) 2594 6969

E-Mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बुक-पोस्ट / Book-Post



सुपुर्दगी न होने पर कृपया लौटाएं:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

फोन: 022 - 6638 7818



If undelivered, please return to :

CENTRAL BANK OF INDIA
Head Office : Chandermukhi,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.
Phone: 022- 6638 7818